SHRI KIREN RIJIJU: Sir, Indo-Myanmar boundary is around 1,643 km. long. Out of this, 171 km. is to be demarcated through boundary mechanism which both India and Myanmar have established. There are nine border pillars which are to be identified and which are to be put on ground. We do not have a border dispute. We have an agreement. We have complete understanding. It is only the demarcation of pillars, which are total nine in numbers.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary question.

SHRI K. BHABANANDA SINGH: Sir, may I know if the controversial pillar, No. 81, is also one of those pillars?

MR. CHAIRMAN: This is something connected with our relations with the neighbours also. Please keep that in mind.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, as you have said, this is a very sensitive issue concerning our neighbouring countries. Some newsreport created undesirable situation in the State of Manipur. We have carefully seen the report. The official team from the Home Ministry along with the officials from the External Affairs Ministry as well as Surveyor General of India visited that spot and found that the report which created unnecessary tension was false. That is why I would like to assure the hon. Member that as regards Border Pillar No. 81 and Border Pillar No. 82, there are some issues relating to the subsidiary pillars. But the primary pillars which our Joint official team visited were found to be okay and there is no problem on ground as such.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 158. प्रश्न करने वाले मेम्बर नहीं हैं। Are there any supplementaries? Yes, Dr. Narendra Jadhav. ...(*Interruptions*)... You have to understand that I am looking at every side and then trying to locate.

158. [*प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे।*]

पुलिस बलों में महिलाओं को आरक्षण

*158. **श्री प्रभात झाः** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस बलों में कॉन्स्टेबल से लेकर उप-निरीक्षक तक के अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आरक्षण का प्रावधान करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने केंद्रीय सरकार के परामर्श के अनुसार पुलिस बल में कॉन्स्टेबल से लेकर उप-निरीक्षक तक के अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) गृह मंत्रालय ने राज्यों में महिला पुलिस के प्रतिनिधित्व को पुलिस कार्मिकों की कुल नफरी के 33% तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दिनांक 04.09.2009, 22.04.2013 एवं 21.05.2014 को परामर्शी पत्र जारी किए हैं। सभी राज्य सरकारों से पुरूष कांस्टेबलों के रिक्त पदों को महिला कांस्टेबलों के पद में बदल कर महिला कांस्टेबलों/उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला उप-निरीक्षक एवं 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने दिनांक 20.03.2015 को सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों में कांस्टेबल से उप-निरीक्षक तक के गैर-राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए समस्तरीय तौर पर तथा प्रत्येक श्रेणी (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा अन्य) में 33% आरक्षण अनुमोदित किया था।

(ग) और (घ) पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार राज्यों की पुलिस में महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रतिशत गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना में 33% से लेकर आंध्र प्रदेश में 33.33% और बिहार में 38% तक है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं हेतु आरक्षण 33% है। अन्य राज्य में महिलाओं हेतु आरक्षण शून्य से 30% तक है।

पुलिस भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के तहत आने के कारण राज्य का एक विषय है। इसलिए पुलिस बल में सीधी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

*158. [*The questioner was absent.*]

Reservation to women in police force

†*158. SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:–

(a) whether Central Government had advised States and Union Territories for providing reservation to women in direct recruitment in police force against non-gazetted posts right from the post of constable to the post of sub-inspector in all the States and Union Territories;

(b) if so, the details thereof;

† Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether States have made any provision for providing reservation to women in direct recruitment against non-gazetted posts in police force right from the post of constable to sub-inspector as per the advice of the Central Government; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) The Ministry of Home Affairs has issued advisories dated 4.9.2009, 22.4.2013 and 21.5.2014 to all the State Governments to increase the representation of women to 33% of the total strength of police personnel in the States. All the State Governments have also been requested to create additional posts of women constables/sub-inspectors by converting the vacant posts of male constables. The aim is that each police station should have at least 3 women Sub-Inspectors and 10 women police Constables.

Further the Central Government on 20.03.2015 approved 33% reservation for women horizontally and in each category (SC, ST, OBC and others) in direct recruitment of non-gazetted posts from constable to sub-inspector in police forces of all the Union Territories.

(c) and (d) As per data received from Bureau of Police Research and Development, as on 1.1.2017 the percentage of reservation for women in States Police ranges from 33% in Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Odisha, Tamil Nadu, Telangana to 33.33% in Andhra Pradesh, 38% in Bihar. All Union Territories have 33% reservation for women. Reservation for women in other States ranges from nil to 30%.

Police is a State subject falling in List-II (State List) of the Seventh Schedule of the Constitution of India. It is the responsibility of the State Governments to provide reservation to women in direct recruitment in police force.

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, the Ministry of Home Affairs has issued advisories from time to time. It contains two provisions. One is 33 per cent reservation for women. The actual position as reflected in the reply states that only ten States have met the condition of 33 per cent reservation and all the remaining States have not fulfilled this requirement of 33 per cent reservation. And the part (b) of my supplementary is this. The advisories say that each police station must have three women Sub-Inspectors

[Dr. Narendra Jadhav]

and ten Constables. But the reality is that, at the national level, less than one per cent women police are in senior positions. My question is: Why is it so?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें हमने जवाब खुलासेवार दिया था। यह बात सही है कि तीन बार गृह मंत्रालय से एडवाइज़री निकालने के बावजूद भी, कुछ राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और अपने राज्यों में पॉलिसी भी बनाई है। कुछ राज्यों ने 33 प्रतिशत तक पॉलिसी बनाई है और कुछ राज्यों ने 38 प्रतिशत तक भी पॉलिसी बनाई है। सभी राज्यों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि संविधान की सातवीं सूची के अनुसार, ये सारे अधिकार राज्यों को हैं कि कितने प्रतिशत उन्हें महिला पुलिस की भर्ती करनी है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा बार-बार एडवाइज़री निकाल कर पुलिस में महिलाओं की भर्ती हो, इसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इतना ही नहीं हमने केंद्र के द्वारा कुछ रियायतें भी दी हैं। महिलाओं की height में भी रियायत दी है, उनके आवेदन शुल्क में भी रियायत दी गयी है, ताकि उन्हें पुलिस की भर्ती में कोई समस्या नहीं आये। यह सब होने के बावजूद भी सभी राज्यों ने इसे implement नहीं किया है। सरकार ने पुलिस स्टेशन में तीन इन्सपैक्टर और 10 सिपाही रखने की बात कही थी, इसको यूटीज़ में implement किया गया है, दिल्ली में इसको implement किया गया है। लेकिन राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है कि वे इसे implement करें।

श्री सभापतिः क्या इस पर सभी यूटीज़ में अमल हो रहा है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, अभी दिल्ली में इस पर पूरा implementation हो रहा है।

श्री सभापतिः इसका implementation सभी यूटीज़ में होना चाहिए। आप सभी राज्यों की लिस्ट publish करिए। इससे यह लोगों की समझ में आएगा। यह बहुत नाजुक मामला है, यह बहुत important मामला है। इस पर बहुत दिनों से चर्चा है।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, मैं फिर से इसे दोहराता हूं। मैं फिर से इसे दुरुस्त करता हूं। हमारे सभी यूटीज़ में इसको implement किया गया है।

SHRI MAJEED MEMON: Sir, I would ask the hon. Minister that out of 33 per cent of reservation for women in the police stations for constables, up to sub inspectors, for the SC/ST, OBCs and others, how many Muslim women have been given, if any, posts of constables and sub-inspectors till now?

श्री सभापतिः मंत्री जी, अगर आपके पास जानकारी है, तो दे दीजिए, नहीं तो सप्लाई कर दीजिएगा।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, यह जो हमने 33 प्रतिशत की एडवाइजरी निकाली है, इसमें ये सारी बातें इन्क्लूड होती हैं कि पूरे देश में जो भी आरक्षण नीति है, उसका implementation होना चाहिए। यह सभी राज्यों की अपनी जिम्मेदारी है। मैं आज यहां पर इसके बारे में फिगर्स दे नहीं पाऊंगा, लेकिन यूटीज़ के जो भी आंकड़े हैं, उनको मैं माननीय सदस्य महोदय को सप्लाई कर दूंगा।

श्रीमती कहकशां परवीनः माननीय सभापति महोदय...

†**محترمہ کہکشاں پروین:** مائنے سبھاپتی مہودے۔۔۔۔

श्री सभापतिः महिलाओं को भी प्रश्न पूछने दीजिए।

श्रीमती कहकशां परवीनः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि केन्द्र सरकार के परामर्श के बाद भी बहुत सारी राज्य सरकारें इसे implement नहीं कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से महिलाओं की मजबूती और उनके सशक्तिकरण की बात कही जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि अगर राज्य सरकारों ने आपकी बात को नहीं माना है या आपके परामर्श को कबूल नहीं किया है, तो आप कौन-सा रास्ता अख्तियार करेंगे?

†**محترمہ کہکشاں پروین :** مائنے سبھاپتی مہودے، مائنے منتری جی نے جو جواب دیا ہے، اس میں کہا ہے کہ کیندر سرکار کے پرامرش کے بعد بھی بہت ساری راجیہ سرکاری اسے امپلیمینٹ نہیں کر رہی ہیں۔ میں مائنے منتری جی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سرکار کی طرف سے مہلاؤں کی مضبوطی اور ان کے سشکتیکرن کی بات کہی جاتی ہے۔ میں مائنے منتری جی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر راجیہ سرکاروں نے آپ کی بات کو نہیں مانا ہے یا آپ کے پرامرش کو قبول نہیں کیا ہے، تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, मैं यहां पर एक बार पढ़कर बता देता हूं कि किन राज्यों ने इसे स्वीकार किया है। इसमें गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इन राज्यों में 33 प्रतिशत को स्वीकार किया गया है। आंध्र प्रदेश और बिहार में 38 प्रतिशत माना गया है। मैं आपके माध्यम से हाउस में सभी राज्यों के सांसदों से भी विनती करूंगा कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, प्लीज़। बैठकर नहीं बोलना चाहिए। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सर, केवल ऑल इंडिया में 7 प्रतिशत है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़... आप बैठ जाइए। मैंने महिला सदस्य को सवाल पूछने के लिए बुलाया है। उन्होंने सवाल पूछा है। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने-अपने राज्यों में इसे implement करने के लिए राज्य सरकारों से विनती की जाए। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने-अपने तरीके से इसे आरक्षित करें।

---

† Transliteration in Urdu script.

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, ये आंकड़े सही करवा दीजिए। ये आंकड़े गलत हैं। सर, ये आंकड़े सही नहीं हैं, ये गलत आंकड़े हैं।

श्री सभापतिः ठीक है। इसको चैक करिए।

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, केवल 7 प्रतिशत महिलाएं ही हैं, 33 प्रतिशत और 38 प्रतिशत कहां से आ गया? पार्लियामेंट में कम से कम सवाल का जवाब तो सही आना चाहिए।

श्री सभापतिः स्टेट्स को सर्कुलर भेजा है, यह बता रहे हैं। क्वेश्चन नम्बर 159

आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की घटनाएं

*159. **श्री लाल सिंह वड़ोदियाः** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्रमशः वर्ष 2017-18 और 2018-19 में आज तक, आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की, वर्ष-वार, कितनी-कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) घुसपैठ के दौरान प्रतिवर्ष कितने आतंकवादी मारे गए और उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी जिंदा पकड़े गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान घुसपैठ के समय मुठभेड़ में कितने सुरक्षाकर्मी शहीद हुए तथा कितने घायल हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 2017 और 2018 (जून तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ के प्रयासों, घुसपैठ के दौरान मारे गए आंतकवादियों और शहीद/घायल हुए सुरक्षा कार्मिकों के वर्ष-वार ब्योरे निम्नानुसार हैंः–

ब्यौरे	2017	2018 (जून तक)
घुसपैठ के कुल प्रयास	406	133
सीमा पार मारे गए आतंकवादी	59	14
सीमा पर गिरफ्तार किए गए आतंकवादी	–	–
घुसपैठ के समय मुठभेड़ में शहीद हुए सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	7	1
घुसपैठ के समय मुठभेड़ में घायल हुए सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	18	2